

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

क्रमांक /पीपीयू/05/11/नग्रानि उज्जैन, दिनांक
प्रति

श्रीमती किर्ती बियाणी, बरखा जैन एवं महेश लढडा
97, संतनगर,
उज्जैन

विषय :- ग्राम सावराखेडी सर्वे क्रमांक 176/1/2/2/2/, 178/1/6,
176/1/2/1/5, 178/1/2/2/1 एवं 178/1/5 रकबा 0.747
हेक्टर भूमि पर वन आवास उपयोग की अनुमति बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 4.2.2011

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम सावराखेडी सर्वे क्रमांक
176/1/2/2/2/, 178/1/6, 176/1/2/1/5, 178/1/2/2/1 एवं
178/1/5 रकबा 0.747 हेक्टर भूमि पर उज्जैन विकास योजना मे प्रस्तावित कृषि
भूमि उपयोग मे स्वीकार्य उपयोग के तहत वन आवास हेतु विकास अनुज्ञा म.प्र.नगर
तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा म.प्र.भूमि विकास नियम,
1984 के नियम 2 (5) (क) एवं नियम 27 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ
मानचित्र का अनुमोदित किया जाता है:-

- 1 वन आवास की छत ढलूआ आकार की ही मान्य होगी जिसकी अधिकतम उंचाई 6.5 मीटर से अधिक मान्य नहीं होगी ।
- 2 वन आवास हेतु आरक्षित भूमि का एफ.ए.आर. 1:0.10 एवं भूतल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र 5.0 प्रतिशत से अधिक मान्य नहीं होगा ।
- 3 वन आवास क्षेत्र का म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के तहत भू-व्यपवर्तन कराने हेतु, व्यपवर्तन के आशय की जानकारी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), उज्जैन को देना आवश्यक होगी ।
- 4 संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार भूमि के सामने विद्यमान मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर रखी जावें अतः विद्यमान मार्ग के मध्य से न्यूनतम 6.0 मीटर दूरी तक भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ने के पश्चात संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार मार्ग विस्तार के पश्चात सीमांत खुला क्षेत्र छोड़ना आवश्यक होगा ।
- 5 (अ) वन आवास परिसर में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर, के मान से आवेदक को भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने के पूर्व वृक्षारोपण करना होगा । जिसका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा ।



(ब) म0प्र0 ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण) आदर्श उपविधियों 1999 के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम पंचायत, सावराखेडी से प्राप्त करना होगी।

6. किसी भी प्रकार के विकास / निर्माण कार्य करने से पूर्व समस्त संबंधित विभागो/संस्थाओ से नियमानुसार अनुमति/अनापत्ती प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. उज्जैन विकास योजना 2021 के अध्याय 4 के पैरा 4.5 म.प्र.भूमि विकास नियम, 1984 के नियम के नियम 17 में उल्लेखित समस्त प्रावधानो/मापदण्डो का पालन सुनिश्चित कराना होगा।
8. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष तक मान्य रहेगी। समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन नियत समयावधि के पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. संलग्न अभिन्यास को भू-स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
10. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होने या दी गई शर्तों के उल्लंघन होने पर अथवा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर यह अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत की जा सकेगी।


संलग्न:- एक स्वीकृत मानचित्र

SD
उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन

पृ.क्र0 461 /पीपीयू/06/11/नग्रानि उज्जैन, दिनांक 17-2-2011
प्रतिलिपि:-

- 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 सरपंच, ग्राम पंचायत सावराखेडी, तहसील एवं जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3). जिला पंजीयक, जिला उज्जैन की ओर अग्रेषित कर लेख है कि वर्ष 2010-11 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार विषयांकित भूमि का मूल्य रूपये 7,46,000/-प्रति हेक्टर की दर के मान से विकास अनुज्ञा शुल्क जमा कराया गया है। यदि दर इससे भिन्न हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4). वेबसाईट प्रति

संलग्न :- एक अनुमोदित मानचित्र


उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन